<u>मुन्तकिली प्रकरण सं0 18/2019 (RCMS 2019/00028)</u> अनवानी 1. सरोज पत्नी श्री मनीराम जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> 1. पृथ्वीराज 2. साहबराम पिसरान सहीराम अकवाम जाट साकिन मोरण्डखारी तहसील सादुलशहर 3. विनोद कुमार 4. सुशील कुमार पिसरान बृजलाल अकवाम जाट साकिन मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर 5. कौशल्या उर्फ विजयश्री पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर 6.मन्जू पुत्री बृजलाल पत्नी श्री मनोज निवासी सालीवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 7. सरपंच ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर 8. मनीराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर 9. श्री यशपाल आहुआ उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

<u>21.01.2019</u>

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री काशीराम रणवां उपस्थित है। एडमिशन के बिन्दु पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन था कि अप्रार्थी संख्या 8 मनीराम ने अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड मं दर्ज भूमि जरिए रजिस्टर्ड दानपत्र से आवेदिका को हस्तान्तरित कर दी और इस रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर आवेदिका के पक्ष में इतंकाल संख्या 332 दिनांक 20.07.2016 दर्ज कर दिया गया जिससे प्रार्थीया विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी हो गई है।

उनका आगे कथन था कि उक्त इंतकाल के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने मियाद की अवधि व्यतीत होने के पश्चात उक्त इंतकाल को अधीनस्थ न्यायालय मे अपील के द्वारा चुनौति दी, जो कि अपील संख्या 01/2107 पृथ्वीराज वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत के नाम से लम्बित है और उक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रारम्भिक आपत्तिया दी गई जिसका निस्ताराण सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाना था जो नहीं किया गया क्योंकि अप्रार्थीगण 1 ता 6 भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्ध रखते है और श्री गुरजंट सिंह बराड़, सादुलशहर विधानसभा के विधायक है और अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 श्री गुरजंट सिंह बराड, विधायक के कार्यकर्त्ता है और गांव में ऐलानिया कह रहे है कि विधायक महोदय द्वारा पीठासीन अधिकारी को उनके पक्ष में निर्णय करने को कह दिया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उनके पक्ष में फैंसला करेगें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय को बहस के समय प्रार्थिया द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियों का पहले निस्तारण करने के लिए निवेदन किया गया तो पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि वे आपत्तियों पर निर्णय नहीं करेगें और इंतकाल खारिज करेगें, क्योंकि उन पर दबाव है। इसलिए प्रार्थिया को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्याय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त तर्कों पर मनन किया और उनके द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लंबित प्रकरण इंतकाल संख्या 332 दिनांक 20.07.2016 के सम्बन्ध में अपील संख्या 01/2017 अनवानी पृथ्वीराज वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर उक्त अपील अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित उक्त अपील के गुणदोष पर विचार कर निर्णय नहीं करना है। **केवल मात्र इस** न्यायालय को यह देखना है कि अगर उक्त लम्बित अपील को अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र मुंतकिल नहीं किया जाता तो क्या वास्वत में प्रार्थिया के साथ अन्याय होगा?

प्रार्थिया द्वारा अपने मुंतकिली प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2018 में अप्रार्थी संख्या 09 पीठासीन अधिकारी पर सादुलशहर के विधायक श्री गुरजंट सिंह बराड़ का दबाब होने का आरोप लगाया गया है जो एक साधारण प्रकृति का है जो किसी प्रकार से मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं बनाता है। ऐसा आरोप कभी भी किसी पर भी लगाया जा सकता है। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ऐसा ठोस आधार होना आवश्यक है, जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। दूसरा श्री गुरजंट सिंह बराड़ वर्तमान में सादुलशहर के विधायक नहीं रहे है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी पर श्री गुरजंट सिंह बराड, पूर्व विधायक सादुलशहर के राजनैतिक दबाव का कथन प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए प्रार्थिया का मुंतकिली प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नहीं है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर